OM INFRA LIMITED

(Formerly known as OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED)

CIN: L27203RJ1971PLC003414

Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001
Tel:91-141-4046666
Website: www.ommetals.com E-Mail Id: info@ommetals.com

Date: 23rd June, 2021

To,

Corporate Service Department, Bombay Stock Exchange, Phiroze Jeejeeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Fax No. 022-22723121/3027/2039/2061/2041	Listing Department, National Stock Exchange Of India Limited Exchange Plaza, C-1 Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Fax No. 022-26598237/38 : 66418126

Sub: Newspaper Advertisement in regard to Notice for transfer of Equity Shares to IEPF

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed copies of Newspaper Advertisement published in Business Standard (English edition) and Dainik Amrit India (Hindi edition) on 23rd June, 2021 titled Notice for transfer of Equity shares of the company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Kindly take the aforesaid information for your records.

Thanking You.

For **Om Infra Limited**

Company Secretary

VINTRON INFORMATICS LIMITED

CIN: L72100DL1991PLC045276
Regd. Office: D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
Phone: EPABX – 43740000; **Fax:** +91-11-43740040
Email: vil_vintron@hotmail.com; **Website:** www.vintroninformatics.com

PUBLIC NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circular(s) issued by the BSE Listing Centre regarding relaxation in submission of financial results, NOTICE is hereby given that the Thirty Ninth (39th) meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 30th day of June 2021** *inter alia* to consider, approve, sign and take on records the Standalone Audited Financial Results for the last quarter and financial year ended on 31st day of March 2021 during the financial year 2020-2021.

Further, Regulation 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the trading window of the Company would remain closed for all designated persons including Promoters, Directors and Key Managerial Persons (KMPs) of the Company (insiders) during 7 days prior and 3 days after the Board Meeting scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of June 2021 to consider and take on record the Financial Results for the quarter/financial year ended on 31st March, 2021 are made public in accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading.

Further that this intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the securities of the Company are listed and shall also be available on the website of the Company (www.vintroninformatics.com).

BY Order of the Board
FOR VINTRON INFORMATICS LIMITED
Sd/-
(ARVIND SHARMA)
Managing Director
DIN: 00012177

Place : New Delhi
Date : June 22, 2021

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

BO: Mata Sundri College for women, New Delhi – 110002.
Telephone: 011-23236817, Email: d0784@psb.co.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Punjab & Sind Bank having its branch at Mata Sundari College for Women, New Delhi-110001 Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05-04-2021 calling upon the **borrower Smt. Riti W/O Amit Pal** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs 1394984.97 /- (Rupees Thirteen Lakhs Ninty four Thousand Nine Hundred Eighty Four and Ninty Seven Paisa Only)** with the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the **19 th day of June of the year 2021.**

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank or an amount of **Rs 1394984.97 /- (Rupees Thirteen Lakhs Ninty four Thousand Nine Hundred Eighty Four and Ninty Seven Paisa Only) as on 31-03-2021 with further cost, interest etc thereon.**

DESCRIPTION OF MOVABLE ASSETS

property Bearing No. WZ-15/A, area 56.50 Sq. yds. At III Floor out of total plot area 113.50 Sq yds, Part of Khasra No.1, situated in the area of Village Nangli Jalib, colony known as Krishna Puri , Gali No.10 P.O. Tilak Nagar, New Delhi-110018 in the name of Mrs Ravinder Kaur w/o Kuldeep Singh..

Date: 16.06.2021, Place: Delhi — **Authorized Officer, Punjab & Sind Bank**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

BO: Mata Sundri College for women, New Delhi – 110002.
Telephone: 011-23236817, Email: d0784@psb.co.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Punjab & Sind Bank having its branch at Mata Sundari College for Women, New Delhi-110001 Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05-04-2021 calling upon the **borrower Shri. Mohd Jamil Ahmed** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 1247741.10 /- (Rupees Twelve Lakhs Fourty seven Thousand Seven Hundred Forty One and Ten Paisa Only)** with the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the **16 day of June of the year 2021.**

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank or an amount of **Rs. 1247741.10 /- (Rupees Twelve Lakhs Fourty seven Thousand Seven Hundred Forty One and Ten Paisa Only) as on 31-03-2021 with further cost, interest etc**

DESCRIPTION OF MOVABLE ASSETS

Property with flat bearing no F-57/S2 on second floor with roof rights, area super covered 425 sq. ft out of khasra 1076/5/2/560 situated at Dilshad Colony Delhi , in the area of village Jhilmil ,Tahirpur, Shahdara, Dellhi- 110095.

Date: 16.06.2021, Place: Delhi — **Authorized Officer, Punjab & Sind Bank**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

BO: Mata Sundri College for women, New Delhi – 110002.
Telephone: 011-23236817, Email: d0784@psb.co.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Punjab & Sind Bank having its branch at Mata Sundari College for Women, New Delhi-110001 Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05-04-2021 calling upon the **borrower Sh. Rahul Kumar s/o Raghu** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 1150266.59/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand Two Hundred Sixty Six and Fifty Nine Paisa Only)** with the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the **16 day of June of the year 2021.**

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank or an amount of **Rs. 1150266.59/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Thousand Two Hundred Sixty Six and Fifty Nine Paisa Only) as on 31-03-2021 with further cost, interest etc thereon.**

DESCRIPTION OF MOVABLE ASSETS

Entire First Floor, Flat no B-7 residential property built on Khasra no 608 also known as HIL VIEW APARTMENTS, Area 900 sq ft, Dera Mandi, Tehsil –Mehrauli, New Delhi-110030.

Date: 16.06.2021, Place: Delhi — **Authorized Officer, Punjab & Sind Bank**

केनरा बैंक Canara Bank — Regional Office-I, Jaipur

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property)

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **03/04/2021** calling upon the borrower **M/S JAIPUR MOBILE STORE** through proprietor Mrs.Huma Sameem w/o Waseem Ahmad to repay the amount mentioned in the notice, being **Rs.52,33,086.53** (Rupees Fifty Two Lakh Thirty Three Thousand Eighty Six and Fifty Three paisa only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this **16th day of June, 2021.**

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Canara Bank** for anamount of **Rs. 53,63,735.53** (Rupees Fifty Threelakh Sixty Three thousand Seven hundred thirty Five and paise fifty three only) and further interest and other expenses thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of

1. Flat No 504, 5th Floor, Jasmine Tower, Shankra Residency, Omaxe City, Ajmer Road, Jaipur measuring 925 Sq. Feet. **Boundaries:** On the North by:Other's Land, On the South by: Road, On the East by: Other's Land, On the West by: Other's Land

2. Flat No 505, 5thFloor, Jasmine Tower, Shankra Residency, OmaxeCity, Ajmer Road, Jaipur measuring 925 Sq. Feet. **Boundaries:** On the North by: Other's Land, On the South by: Road, On the East by: Other's Land, On the West by: Other's Land

Date : 16/06/2021, Place: Jaipur — **Authorized Officer Canara Bank**

केनरा बैंक Canara Bank — Regional Office-I, Jaipur

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property)

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **05/04/2021** calling upon the borrower **M/S HOTEL THE VEDANTA SARA** through proprietor Sh Chandu Lal Meena to repay the amount mentioned in the notice, being **Rs.7,89,60,122.26** (Rupees Seven Crores Eighty Nine lakh sixty thousand one hundred twenty two and paise twenty six only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this **18th day of June, 2021.**

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Canara Bank** for anamount of **Rs. 8,03,20,171.10** (Rupees Eight crores three lakh twenty thousand one hundred seventy one and paise ten only) and further interest and other expenses thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of: 1. Commercial Plot At Khasra Nos. 730/326 & 732/80, Gram Gehrauli, (Mehndipur Balaji) Tehsil: Toda Bheem, Distt-Karauli , Rajasthan measuring 500 Sq. Mtrs. **Boundaries:** On the North by: Guest house of Daulat Singh Ji, On the South by: AAM Rasta, On the East by: Dharamshala Saharanpurwale, On the West by: Toda Bheem Balaji Road -60'

2. Plot No : 3 Saraswati Vihar –A Village : Bari ka Bass , Tonk Road, Sanganer Distt : Jaipur , Rajasthan measuring 2281.25 sq. yards. **Boundaries:** On the North by:Road, On the South by: Other's Land, On the East by: Road, On the West by: Plot No. 4, 30 to 39

Date : 18/06/2021, Place: Jaipur — **Authorized Officer Canara Bank**

केनरा बैंक Canara Bank — ANNEXURE-10

POSSESSION NOTICE [Section 13(4)] (For Immovable Property)

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **31.03.2021** calling upon the Borrower **M/s Marwar Palace (Shyam Lal bhati & Chandra Kanta Bhati (partners) Anil bhati s/o Amrit Lal Bhati and Manish Bhati s/o Shyam Lal Bhati (Guarantor))** to repay the amount mentioned in the notice, being **Rs 4328756.14** (Rupees Forty three lakhs twenty eight thousand seven hundred fifty six and paisa fourteen as on 28.02.2021) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this **18th day of June of the year 2021**.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of **Rs. 44,60,998.46/-** and interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

1. Residential land measuring 6435 Sq.Fts situated in khasra no.85, vill. Mahilawas Mokalwar, Barmer Bounded by:- North:- Plot of Chandra kanta, South:- Plot of Shyam lal, East:- Plot of Narayan singh, West:- Plot of Vijay kumar
2. Property at Radha Vilas (east)- strip of land, jalori gate bari measuring area 292.50 Sq.Ft. North- House of harisingh, South- Road, East- Remaining part of this property, West- Property of Sheshmal ji
3. Property at Radha Vilas (western Portion), Jalori Gate Bari, Ground Floor, Jodhpur Extent Areas- 1200 Sq.Ft. North- 20' Road and Nala, South- Property of Rajesh Rathore, East- Ground floor of same property, West- Property of sheshmal
4. Residential land Rakba 11 Bigha 13 biswa or 598.27 Sq.Mtrs situated in khasra no. 85, village mahilawas mokalwar, Dist. Barmer Bounded by:- North:-Meema devi, South:- Road, East:- Narayan Ji, West:- Vijay Kumar

Date: 18.06.2021 **Place : Jodhpur** **Authorised Officer, Canara Bank**

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक — शाखा- गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.)

परिशिष्ट- IV (नियम 8 (i) कब्जे की सूचना (स्थावर सम्पत्ति के लिए)

यत: (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक **06.04.2021** को जारी किया, जिसमें ऋणी श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती सह-ऋणी श्रीमती आशा देवी संचेती पत्नी श्री रोशन लाल संचेती गारन्टर श्री हर्षवर्धन भारद्वाज पुत्र श्री ओमप्रकाश भारद्वाज, सुश्री अंकिता संचेती पुत्री श्री रोशन लाल संचेती एवं श्री कैलाश चन्द्र कोठारी पुत्र श्री रामस्वरूप कोठारी को जारी किया, जिसमें ऋणी को नोटिस में उल्लेखित राशि रू. **1,07,24,436/-** दिनांक **31.03.2021** तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चों का भुगतान, इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणियों और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख कि गई सम्पत्ति का कब्जा वर्ष 2021 माह 06 की तारीख 18 से प्राप्त कर लिया है।

ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस संपत्ति के बाबत् कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत् किया गया कोई भी संव्यवहार रू. **1,10,31,121/-** दिनांक **17.06.2021** तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	आवासीय संपत्ति का विवरण	चतुः सीमाएं
1.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 46, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 183.05 वर्गगज) श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की	पूर्वः रोड़, पश्चिमः अन्य आराजी, उत्तरः प्लॉट नं. 43, दक्षिणः प्लॉट नं. 47
2.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 47, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 187.50 वर्गगज)	पूर्वः रोड़, पश्चिमः अन्य आराजी, उत्तरः प्लॉट नं. 46, दक्षिणः प्लॉट नं. 48
3.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 48, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 191.94 वर्गगज)	पूर्वः रोड़, पश्चिमः अन्य आराजी, उत्तरः प्लॉट नं. 47, दक्षिणः प्लॉट नं. 49
4.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 49, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 231.77 वर्गगज)	पूर्वः रोड़, पश्चिमः अन्य आराजी, उत्तरः प्लॉट नं. 48, दक्षिणः रोड़
5.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 50, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 51, पश्चिमः फुटपाथ, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 66
6.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 51, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 52, पश्चिमः प्लॉट नं. 50, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 65
7.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 52, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 53, पश्चिमः प्लॉट नं. 51, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 64
8.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 53, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 54, पश्चिमः प्लॉट नं. 52, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 63
9.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 54, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 55, पश्चिमः प्लॉट नं. 53, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 62
10.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 55, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 56, पश्चिमः प्लॉट नं. 54, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 61
11.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 56, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 57, पश्चिमः प्लॉट नं. 55, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 60
12.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 57, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 200 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 58, पश्चिमः प्लॉट नं. 56, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 59
13.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 58, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 311.10 वर्गगज)	पूर्वः रोड़, पश्चिमः प्लॉट नं. 57, उत्तरः रोड़, दक्षिणः फुटपाथ
14.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 59, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः फुटपाथ, पश्चिमः प्लॉट नं. 60, उत्तरः प्लॉट नं. 57, दक्षिणः रोड़
15.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 60, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 59, पश्चिमः प्लॉट नं. 61, उत्तरः प्लॉट नं. 56, दक्षिणः रोड़
16.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 61, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 60, पश्चिमः प्लॉट नं. 62, उत्तरः प्लॉट नं. 55, दक्षिणः रोड़
17.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 62, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 61, पश्चिमः प्लॉट नं. 63, उत्तरः प्लॉट नं. 54, दक्षिणः रोड़
18.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 63, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 62, पश्चिमः प्लॉट नं. 64, उत्तरः प्लॉट नं. 53, दक्षिणः रोड़
19.	श्री रोशन लाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती की आवासीय प्लॉट नं. 64, महाप्रज्ञ नगर, नेगडिया रोड़, ग्राम- आसींद, तहसील-आसींद, जिला-भीलवाड़ा (राज.) जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों के आधार 166.67 वर्गगज)	पूर्वः प्लॉट नं. 63, पश्चिमः प्लॉट नं. 65, उत्तरः प्लॉट नं. 52, दक्षिणः रोड़

समस्त सम्पत्तियों का पंजीकरण के भीतर उप-जिला आसीन्द और जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

स्थानः आसीन्द (भीलवाड़ा) दिनांकः 18.06.2021

E-AUCTION SALE NOTICE

(Under Regulation 32 & 33 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016

VCRM Petrochemicals Pvt. Ltd. (Under Liquidation) ("VCRM")

CIN: U23201DL2004PTC126663

Liquidator of VCRM hereby invites Eligible Bidder(s) for participation in E- Auction Sale of Assets of VCRM, listed herein, on "As is Where is, Whatever There is & Without Recourse" basis as per the schedule listed herein & as per the conditions & Process listed in bid document which can be downloaded from https://ncltauction.auctiontiger.net

Description of Assets	Reserve Price (Rs. Crores)	EMD (10%) (Rs. Lacs)	Incremental Bid (Rs. Lacs)
Freehold Industrial Property (Immovable) Industrial Land Area 0.4755 Hectare (1.1750 Acre) Building Build-up Area in Sq. Ft 5412 (502.86 Sq. Mtr) Industrial Property Bearing Khasra No. 100, Situated at NH-24, Village Dhanela, Pargana & Tehsil-Tilhar, District – Shahjahanpur (U.P) **Entire Plant & Machinery of Plant site of VCRM at** Property Bearing Khasra No. 100, Situated at NH-24, Village Dhanela, Pargana & Tehsil- Tilhar, District – Shahjahanpur (U.P) Used in the manufacturing, processing, refining and storing of bio-diesel with installed capacity of 21000KL Per Annum.	3.50 (Rupees Three Crores Fifty Lakh Only	35.00 (Rupees Thirty Five Lakh Only	10 (Rupees Ten Lacs Only)

Site Visit & Discussion Meeting on : 28th June, 2021from 11:00 A.M. to 04:00 P.M.
Last Date of Document Submission upto : 02nd July, 2021 Till 05:00 P.M.
Last Date For Verification of Documents upto: 06th July, 2021 Till 05:00 P.M
Last Date & Time of EMD Submission upto : 08th July, 2021 Till 05:00 P.M.
Date/Time of E-Auction : 10th July, 2021 from 11:00 A.M. to 02:00 P.M.

Interested Applicants are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the **EMD A/C No. 03881100065274 in the name of Beneficiary "VCRM Petrochemicals Pvt. Ltd. (Under Liquidation)", Name of the Bank:- Punjab and Sind Bank, IFSC CODE: PSIB0000388, Branch : Nehru Place, New Delhi.**

* The complete details of the Land & Building and Plant & Machinery can be sought after signing the confidentiality undertaking with the Liquidator.

* Interested Applicants are advised to refer the Bid Documents and Submit the complete Bid Documents along with proof of deposit of EMD in hard copy to the Liquidator and upload on E- Auction Website https://ncltauction.auctiontiger.net before the last date/time of Bid Submission.

Pankaj Khaitan (Liquidator)
Inthe Matter of VCRM Petrochemicals Pvt. Ltd.
Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014
Reg. Add.: K-37/A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, Delhi-110048.
Email : liquidatorvcrmpetrochem21@gmail.com, ippankajkhaitan@gmail.com
Contact No.: 9999883792 & 9310201908

Date: 23/06/2021
Place: New Delhi

OM INFRA LIMITED

(Formerly known as OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED)
CIN : L27203RJ1971PLC003414
Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001
Tel:+91-141-4046666 Website: www.ommetals.com E-Mail Id: info@ommetals.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Rules 2016 ('the rules') the final dividend declared during the financial year 2013-14, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on October 29, 2021. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the **website www.ommetals.com** to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the final dividend declared during the financial year 2013-14 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the Depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered In the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on Its website should be regarded and shall be deemed adequate notice In respect of Issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before August 31, 2021, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. October 29, 2021.

The corresponding shares on which dividend Is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company In respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed In the Rules.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st floor, Okhla Industrial Area, Phase –I, New Delhi – 110020 , Tel : 011-64732681, 26812682, **Email – admin@skylinerta.com**

For OM INFRA LIMITED
Sd/-
Reena Jain
Company Secretary

Date : June 22, 2021
Place: Jaipur

INDUSIND BANK LIMITED

C- 201, 2nd floor Business Square Solitaire Corporate Park Andheri East, Mumbai 400093

PUBLIC NOTICE

(Under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s.13 (2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Notice is hereby given to the borrowers as mentioned below that since they have defaulted in repayment of the Credit facility availed by them from IndusInd Bank Limited (IBL), their loan credit facility has been classified as **Non-Performing Assets** in the books of the Bank as per RBI guidelines thereto. Thereafter, Bank has issued demand notices to below mentioned respective borrower under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) on the last known addresses of the said borrowers thereby calling upon and demanding from them to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below, together with further interest at the contractual rate on the below mentioned amount and incidental expenses, cost, charges etc. as stated in the said demand notices. However, the service is also being done by us by way of this publication as per Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SARFAESI Rules)

Name and address of Borrower and Co Borrower/s	Loan Account No.	Date of Demand Notice	Total Outstanding Dues (INR) as on below date*	Description of the Secured Assets/Mortgaged Properties
1. Ms. Neelam Sawhney- Proprietor of M/s Deesign (Borrower) **2. Sh. Sumit Sawhney** (Co-borrower) H. No.- B-1374 Palam Vihar, Village Chauma & Carterpuri Gurgaon, Haryana 122017. **Also At:** 2851, Masjid Khajoor, Kinari Bazar, Chandni Chowk, Delhi – 110006.	DBC02247N and DBC02496N	15/05/2021 **Date of NPA** 07/03/2021	INR. 2,63,01,605.65 (INR. Two Crore Sixty-Three Lakh One Thousand Six Hundred Five and Sixty-Five Paisa only) as on 10th May 2021	All that the premises admeasuring of the said constructed on land admeasuring about 358.79 Sq. Yds, which is constructed on the land and bearing House No. B – 1374, Palam Vihar, Village- Chauma & Carterpuri, Gurgaon, Haryana – 122017. Bounded as follows: - On or towards East: Plot No. B - 1355, On or towards West: Road, On or towards South: Plot No B - 1373, On or towards North: Plot No B - 1375
1. Sh. Shoumitro Roye (borrower) **2. Ms. Basundhara Roye** (co-borrower) Aviva Tower, Opp Golf Course, DLF Phase-U Sector-43, Gurgaon, haryana- 122003. **Also At:** Flat No. A-123, 12th Floor Tower-A, Trinity Towers, DLF Phase-V, Near Paras Hospital, Gurgaon, Haryana 122009. **Also At:** Flat No. 63, 6th Floor, Tower No-103, Silver Oak Apartment, DLF Phase- 1, Gurgaon Haryana – 122001. **Also At:** Flat No. 26, 2nd Floor, Block- S, Eldeco Green Meadows, Pocket– C, Sector- PI, Greater Noida, Gautam Budh Nagar– 201306.	DBC00861N and DBC02592N	15/05/2021 **Date of NPA** 31/03/2021	INR. 3,31,75,266.85 (INR. Three Crore Thirty One Lakh Seventy Five Thousand Two Hundred Sixty Six and Eighty-Five Paisa Only) as on 10th May 2021	**1.** All that the premises admeasuring of the said constructed on flat admeasuring about 2385 Sq.ft, which is constructed on the land and bearing Flat No. A - 123, 12th Floor, Tower – A, Trinity Towers, DLF Phase – V, Near Paras Hospital, Gurugram – 122009 bounded as: On or towards East: Passage/Flat No. 124, On or towards West: Open, On or towards South: Lift, On or towards North: Open. **2.** All that the premises admeasuring of the said constructed on flat admeasuring about 1270 Sq. ft, which is constructed on the land and Flat No. 63, 6th Floor, Tower No -103, SILVER OAK Apartment DLF Phase - 1 GURGAON HARYANA – 122001 bounded as: On or towards East: Entry, On or towards West: Open Space, On or towards South: Flat No. 103/64, On or towards North: Open Space. **3.** All that the premises admeasuring of the said constructed on flat admeasuring about 1330 Sq. ft, which is constructed on the land and bearing Flat No. 26, 2nd Floor, Block – S, ELDECO GREEN MEADOWS, Pocket – C, Sector - PI, Greater Noida, GautamBudh Nagar – 201306 bounded as: On or towards East: Road, On or towards West: Service Road, On or towards South: Flat No. SF - 27, On or towards North: Flat No. SF - 25
1. Seven Hills Automobles Pvt Ltd- Through Its Directors- (borrower) **2. Sh. Gaurav Bhatia** (Director/co-borrower) **3. Sh. Anil Bhatia** (Director/co-borrower) **4. Ms. Neeru Bhatia** (Director/co-borrower) F-26/1 Okhla Indusrial Area, Phase-II New Delhi – 110020. **Also At:** A - 61, The Sumit (DLF) Golf Course Road, Phase – V, Sector – 53, Gurgoan, Haryana – 122011. **Also At:** Vijay Vihar, Sector – 20, Gurgoan, Haryana – 122001.	700000011326 and DDU00050N	15/05/2021 **Date of NPA** 06/11/2020	INR. 1,23,79,972.85 (INR. One Crore Twenty Three Lakh Seventy Nine Thousand Nine Hundred Seventy Two and Eighty Five Paisa Only) as on 10th May 2021	All that piece and parcel of the construction area admeasuring. sq. yds (According to Regularization Certificate) which is constructed on the land and ground bearing House No A – 61, Sumit (DLF) Golf Course Road, Phase – V, Sector – 53, Gurgoan, Haryana – 122011.
1. Riddhi Siddhi Polymer Through Its Proprietor Sh. Madan Gopal (borrower) **2. Sh. Madan Gopal** Gupta (proprietor/co-borrower) **3. Sh. Manoj Gupta** (co-borrower) **4. Ms. Krishna Gupta** (co-borrower) Ground Floor, Khasra No 155/43, Phirni Road, Village Pooth Khurd, New Delhi – 110039. **Also At:** plot No. 66. Block – C-3, Ground Floor, Ashok Vihar,phase –II, Delhi 110052. **Also At:** House No. 4294, Gali No–5, Jaimata Market, Tri Nagar, Delhi – 110036.	700000008524, 700000008515 and DDW00155N	15/05/2021 **Date of NPA** 06/11/2020	INR. 2,36,27,935/- (INR. Two Crore Thirty Six Lakh Twenty Seven Thousand Nine Hundred Thirty Five Only) as on 10th May 2021	All that the premises bearing C-3/66, Upper Ground Floor, Block No. C, Ashok Vihar Phase II, New Delhi – 110052".
1. Sh. Gian Singh Dhaiya (Borrower) **2. Ms. Sushila Devi** (Co-borrower) **3. Sh. Shekhar** (co-borrower) H.no 1059/9, Ward No. 5, Near New Bus Stand, Community Center, Uttam Vihar, Rohtak Haryana 124001	DRR00003N and DRR00066N	15/05/2021 **Date of NPA** 07/03/2021	INR. 27,58,731.50 (INR. Twenty-Seven Lakh Fifty-Eight Thousand Seven Hundred Thirty One and Fifty Paisa Only) as on 10th May 2021	All that the premises admeasuring of the said constructed on land admeasuring about 250 Sq. Yds, which is constructed on the land and bearing House No. 1059/9, Ward No. 5, Community Center, New Bus Stand, UttamVihar, Rohtak, Haryana – 124001 (Khewat No. 368, Khatoni No. 464, Plot No. 19, Killa No. 44/14, Mouja Para, UttamVihar Colony, Rohtak) On or towards East: Plot No 18, On or towards West: Road, On or towards South: Road, On or towards North: Plot No 20.

We hereby call upon the borrower stated herein to pay us within 60 days from the date of this notice, the outstanding amount of more particularly stated in respective Demand Notices issued, together with further interest thereon plus cost, charges, expenses, etc. thereto failing which we shall be at liberty to shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules not limited to taking possession and selling the secured asset entirely at the risk of the said borrower(s)/co borrower (s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)at your own cost and consequences.

Please note that as per section 13(13) of the SARAFESI Act, all of you are prohibited from transferring by way of sale, lease or otherwise, the aforesaid secured assets without prior written consent of the Bank. Any contravention of the said section by you shall invoke the penal provisions as laid down under section 29 of the SARFAESI Act and / or any other legal provision in this regard. Please note that as per sub-section (8) of section 13 of the Act, if the dues of IBL together with all costs, charges and expenses incurred by IBL are tendered to IBL at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by IBL, and no further step shall be taken by IBL for transfer or sale of that secured asset.

Date: 23.06.2021 Place: DELHI/NCR — **Sd/- For Indusind Bank Limited, Authorised Officer**

NDA SECURITIES LTD.

CIN: L74899DL1992C050366
Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019
Phone: 91-46204000 (30 Lines), **Fax:** 91-11-46204050, **Email:** info@ndaindia.com, **Website:** www.ndaindia.com

Statement of Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Qtr and Year ended March 31, 2021

(Amount Rs. in Lacs)

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
	Unaudited		Audited		Unaudited		Audited	
Total Income	171.33	134.40	573.97	492.42	173.72	138.77	590.04	509.79
Net Profit Before Tax	7.79	–9.30	41.56	–62.65	5.88	–51.10	38.90	–109.60
Net Profit After Tax	7.76	–9.32	41.78	–62.16	5.84	–51.13	39.10	–109.16
Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	–18.10	–4.50	–9.26	-4.60	–18.10	–4.50	–9.26	–4.60
Total Comprehensive income	–10.34	–13.82	32.52	–66.76	–12.26	–55.63	29.84	–113.76
Paid up Equity Share Capital (FV 10/-)	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22
Other Equity			233.92	201.40			208.38	178.54
Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted)	–0.20	–0.27	0.64	–1.31	–0.24	–1.09	0.59	–2.23

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website.(www.bseindia.com) and Company's Website (www.ndaindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors
for **NDA Securities Limited**
Sd/-
Sanjay Agarwal
Managing Director
DIN : 00010639

Place : New Delhi
Date : 21.06.2021

संक्षिप्त समाचार

फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर सुबह तक अस्पताल पहुंचते रहे लोग,जांच में जुटा प्रशासन; कलेक्टर बोले- होगी सख्त कार्रवाई

उदयपुर। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर कांगणी के आटे से बने व्यंजनों का सागार करने पर अब तक 167 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सोमवार रात शहर के हाथीपोल, जगदीश चौक और घंटाघर इलाके में अचानक लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे, जिसके बाद आनन-फानन में चार दीवारी इलाके में रहने वाले कई लोगों को एमबी अस्पताल ले जाया गया। जहां बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग से ग्रसित मरीजों को देख डॉक्टर भी परेशान हो गए। वहीं मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला मंगलवार सुबह तक भी जारी रहा। दरअसल, निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर में उपवास रखा जाता है। इस दौरान सभी सागार कर अपना उपवास खोलते हैं। इस बार शहर के चार दीवारी इलाके में कांगणी के आटे से बना सागार करने के बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत होने लगी। जिसके कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन लापरवाही का पता लगाने में जुटा हुआ है। उदयपुर में बड़ी संख्या में लोगों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद मंगलवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा एमबी अस्पताल पहुंचे। जहां दोनों अधिकारियों ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कलेक्टर देवड़ा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां-जहां कांगणी का आटा खाने के बाद शहरवासियों की तबीयत बिगड़ी है, वहां से सेंपलिंग की जा रही है। साथ ही शहर के अन्य जगहों से भी सेंपल लिए जा रहे हैं। जिसके बाद जांच की जाएगी कि बीमार करने वाला आटा कहां से सप्लाई हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायत वल्लभ नगर इलाके में भी सामने आई है। जहां खाद विभाग की टीम पहुंचकर जांच कर रही है।

कांग्रेस के लिए लहूलुहान पायलट की 6 साल पुरानी फोटो का पोस्टर छापा, गहलोत को सत्ता का संघर्ष याद दिलाया

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में अब पोस्टर की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे में लगातार चल रहे विवाद के बीच अब पोस्टर वॉर दिखने लगी है। पायलट समर्थकों ने जयपुर के गांधीनगर में एक बड़ा होर्डिंग लगाया है। इसमें पायलट की संघर्ष गाथा को दिखाया गया है। बाकी जगहों पर भी पायलट समर्थक पोस्टर वॉर में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए समर्थक पायलट के संघर्ष को बताने का प्रयास कर रहे हैं। गांधीनगर में पायलट समर्थक विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के आवास के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगाया है। इसमें लिखा है- राजस्थान ने देखा है, हम सबने देखा है। नीचे किसी नेता के नाम की जगह टीम सचिन पायलट लिखा हुआ है। इस होर्डिंग में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर विपक्ष में रहकर सचिन पायलट के ?सड़क पर पुलिस की लाठियां खाने की चार तस्वीर लगाई गई हैं। पहली तस्वीर में पुलिस के लाठीचार्ज में पायलट को लगी चोट की तस्वीर है।

स्कूल की छुट्टियों में गांव के बच्चों के साथ बकरियां चराने गई थी, यहीं हैवान ने रेप किया और मार डाला

अजमेर। पुष्कर के पास प्राचीन बैजनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर हैवानीयत का शिकार बनी 11 साल की मासूम अकेली नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ बकरियां चराने गई थी। वह 7वीं क्लास में पढ़ती थी। कोरोना में स्कूल बंद होने से इन दिनों घर के काम ही करती थी। कुत्तों के हमले की सूचना पर वह बकरियों को बचाने के लिए ग्रामीणों से अलग हुई और बाद में वापस नहीं लौटी। इस बीच, उसका रेप कर हत्या कर दी गई। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और उसका शव पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में ग्रामीणों से पड़ताल की तो पता चला कि मासूम बालिका बकरियों को चराने के लिए 5-6 ग्रामीणों के साथ गई थी। दिनभर बकरियां चराई और शाम को वह अपने साथियों के साथ साथ बैठी थी। करीब 5 बजे एक सात से आठ साल के बच्चे ने बताया कि उसकी बकरियों को कुत्ता खा रहा है। इस पर वह बकरियों को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ चली गई, जहां बकरियां चर रही थीं। ग्रामीणों ने बताया कि शाम हो रही थी और जब बालिका वापस नहीं लौटी तो कुछ देर तो इंतजार किया, लेकिन इसी बीच अन्य ग्रामीणों ने सोचा कि वह बकरियां लेकर घर आएगी, इसके बाद अन्य लोग घर लौट गए। जब वह शाम को नहीं लौटी तो उसको तलाश किया गया। इस दौरान उसके चप्पल और कुल्हाड़ी के बाद शव मिल गया। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जब वह शाम के समय बकरियों को हमले से बचाने के लिए ऊपर की तरफ गई तो इस दौरान ही वह कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गई और उसके साथ यह वारदात अंजाम दे दी गई।

हर महीने बंधी के रूप में डीजीएम तक पहुंच रही थी रिश्वत, दलाल ने भतीजे के जरिए 2 लाख वसूले

जयपुर। राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड , कोटा जोन में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मामले में एसीबी ने एक और सेल्स मैनेजर वंदित कुमार (34) को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में सामने आया है कि एचपीसीएल कोटा जोन में पेट्रोल पंप मालिकों से वसूली का खेल चल रहा था। जिसमें हर महीने डीजीएम तक रिश्वत पहुंचाई जा रही थी। साथ ही जांच में यह पता चला है कि दलाल किशन विजय ने अपने भतीजे कपिल विजय के मार्फत निवाई में दीक्षा पेट्रोल पंप के मालिक प्रदीश वर्मा से दो लाख रुपए रिश्वत की रकम इकट?ठा की थी। लेकिन चाचा भतीजे ने डीजीएम राजेश सिंह को दो लाख रुपए देने के बजाए एक लाख रुपए ही दिए। बाकी एक लाख रुपए दोनों दलालों ने अपने पास रख लिए। एसपी समीर कुमार सिंह के मुताबिक मामले में अब तक एचपीसीएल के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेश सिंह, एक सेल्स मैनेजर वंदित कुमार, दलाली कर रहे दो पेट्रोल संचालक किशन विजय व प्रदीश वर्मा के अलावा रिश्वत के लेनदेन में सहयोगी बने दो युवकों अविनाश और कपिल विजय सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वैक्सीनेशन के लिए गांव-ढाणी तक हो बेहतरीन प्रबंधन : मुख्यमंत्री

जयपुर/एजेंसी। अशोक गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर कब आ जाए, कोई नहीं जानता। ?से में, प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से पूर्ण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुख्य उपाय है। हमारा प्रयास हो कि वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप प्रदेश में गांव-ढाणी तक हर आयुवर्ग के लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 19 जून को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में अब तक अव्वल रहा है और आगे भी इसी तरह बेहतरीन प्रबंधन के साथ हमें इस काम को गति देनी होगी, ताकि भविष्य में तीसरी लहर के संक्रमण के खतरे का असर कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सांसद एवं विधायक से लेकर पंच-सरपंच स्तर तक सभी जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में विशेष शिविरों के माध्यम से ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। इन शिविरों में टेन्ट, पेयजल और बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। साथ ही, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी वैक्सीनेशन साइट पर भीड़-भाड़ और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो। वैक्सीनेशन शिविरों के प्रबंधन में स्थानीय सरपंच, पंच, बीएलओ, ग्राम सेवक एवं पटवारी आदि का सहयोग लिया जाए। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों, औद्योगिक संगठनों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान आयोजित किए जाने वाले शिविरों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, लोगों को वैक्सीनेशन की जगह एवं दिन के संबंध में समय पर जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और वैक्सीन वेस्टेज एक प्रतिशत से भी कम रहा है। यह वैक्सीनेशन में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रबंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में चलाए गए व्यापक जागरूकता अभियान के कारण लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां दूर हुई हैं।

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि वैक्सीनेशन शिविरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोगों को इसके संबंध में सूचना समय पर मिले और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रहे।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वैक्सीनेशन शिविर के लिए वार्ड संख्या के आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। इसमें सरपंच तथा ग्राम सेवक के साथ-साथ वार्ड पंचों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने वैक्सीनेशन शिविरों को लेकर की जा रही तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप जितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, उसे लगाने का कार्य तेज गति से सम्पादित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता नहीं होगी तथा शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वर्कसाइट वैक्सीनेशन किया जाएगा। मामलात मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बजट की कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाते हुए इस बात पर ध्यान दें कि पेयजल, सड़क, बिजली आदि ।

सेटरडे गवर्नेन्स के तहत विधिक मापविज्ञान विभाग ने धर्मकाटों पर की कार्यवाही

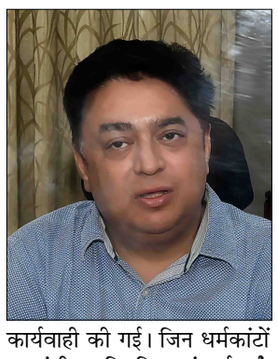

अलवर/एजेंसी। उपभोक्ताओं के हित को सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की मंशा व मुख्य सचिव श्री निरन्जन आर्य के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पूरे राज्य में 'सेटरडे गवर्नेन्स' के तहत विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यके शनिवार को औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि माइनिंग व एफसीआई के गोदामों के बाहर स्थित धर्मकांटों की निरंतर मिल रही शिकायतों पर विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने एक ही दिन में 112 धर्मकांटों का औचक निरीक्षण किया। श्री जैन ने बताया कि निरीक्षण में 53 धर्मकांटों पर तौल संबंधी और तौल के सत्यापन संबंधी अनियमितताएं पाई गई। ज्यादातर अनियमितताएं नियम बाध्यता संबंधी पाई गई, जिन पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की गई। जिन धर्मकांटों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया। शासन सचिव ने धर्मकांटों पर उपलब्ध तौल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धर्मकांटों पर उचित तौल के लिये एक टन का मानकीकृत तौल उपलब्ध होता है। उपयोग कर सही तौल जाना जा सकता है। 15 साल की पोती का पेट बड़ा देख दादी को संदेह हुआ था तो उन्होंने जांच कराई तो वह गर्भवती निकली।

अभी मंत्रिमंडल विस्तार का उचित समय नहीं, सभी विधायक तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी में सीएम का सहयोग करें

जयपुर/एजेंसी। मंत्रिमंडल विस्तार और जल्द राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर अब गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायकों की राय अलग होने लगी है। दौसा के महुवा से गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कोरोना की मौजूदा हालात और तीसरी लहर की आशंका ?का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को टालने की बात कही है। हुड़ला के इस बयान के गहरे सियासी मायने हैं। ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बार-बार चर्चाएं होती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार का यह उचित समय नहीं है। अभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की ?तीसरी लहर की आशंका जताई है। अभी तो सभी विधायकों और सांसदों को तीसरी लहर का सामने करने के लिए मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए। ओमप्रकाश हुड़ला के बयान को गहलोत कैंप की रणनीति के तहत दिया गया बयान माना जा रहा है। सचिन पायलट खेमे के बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी जोर शोर से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठा रहे हैं। इधर, अचानक निर्दलीय विधायकों के अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। गहलोत खेमे की रणनीति कुछ समय तक मंत्रिमंडल विस्तार को टालने की है, ताकि पायलट कैंप के दबाव में काम करने का मैसेज नहीं जाए। ओमप्रकाश हुड़ला बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के कट्टर विरोधी हैं। हुड़ला का हाल ही शराब कारोबारियों से भी विवाद हुआ था। इसके बाद उनके होटल पर तोड़फोड़ हुई थी। सरकार ने हाल ही हुड़ला को वाय श्रेणी की सुरक्षा दी है।

ओमप्रकाश हुड़ला 2013 में किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को हराकर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी राज में वसुंधरा राजे ने उन्हें संसदीय सचिव बनाया। बीजेपी में रहते वक्त वसुंधरा राजे खेमे में रहे थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय लड़े और जीते। सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आ गए। पिछले साल जब सचिन पायलट खेमे ने बगावत की तो निर्दलीय खुशवीर जोजावर और सुरेश टाक के साथ हुड़ला भी उनके कैंप में चले गए। हुड़ला कुछ दिन ही पायलट कैंप में रहे और वापस गहलोत कैंप में आ गए, तब से फिलहाल गहलोत कैंप में ही हैं।

योग की तरह आमजन को पर्यावरण से जोड़ने में सहायक होगी घर-घर औषधि योजना

जयपुर/एजेंसी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के प्रोफेसर डॉ. राकेश बटबयाल ने कहा है कि गांधीजी और पर्यावरण के संदर्भ में घर-घर औषधि योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। यह योजना योग की तरह लोगों को पर्यावरण से जोड़ने में सहायक होगी। वे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गांधी-150 कार्यक्रम के तत्वावधान में गांधी पर्यावरण एवं स्वास्थ्य-एक समग्र सोच विषय पर आयोजित वेबीनार में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। वेबिनार में गांधीजी द्वारा लिखी पुस्तक आरोग्य की कुंजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य भाषा में मानव स्वास्थ को समझाया गया था।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई ने वेबिनार में कहा कि यह योजना भारतीय चिकित्सा पद्धति की उस परम्परा से प्रेरित है, जिसमें आयुर्वेद के जरिए शरीर को स्वस्थ रखा जाता है।

प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) श्रीमती श्रुति शर्मा ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी से 100 प्रतिशत योगदान देने का आह्वान किया।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर डॉ. अभिमन्यु कुमार, महाराष्ट्र के अन्ना साहब डांगे मेडिकल कॉलेज आस्था सांगली के प्रधानाचार्य एवं निदेशक प्रोफेसर-डॉ. सत्येंद्र नारायण ओझा, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर की शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ की सलाहकार समिति के समन्वयक श्री मनीष शर्मा और कार्यक्रम समन्वयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने भी अपने विचार रखे। वेबीनार में एपीसीसीफ, सीसीएफ, डीसीएफ, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास, आयुर्वेद सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी जुड़े रहे।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र माउंट आबू पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने की अगवानी

जयपुर/एजेंसी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र मंगलवार को ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए माउंट आबू पहुंचे। यहां वह एक सप्ताह राजभवन में प्रवास करेंगे। माउंट आबू पहुंचने पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाव भरा स्वागत करते हुए अगवानी की।

राज्यपाल श्री मिश्र दोपहर विमान से आबूरोड हवाई पट्टी पर पहुंचे। यहां पर विधायक सिरोही श्री संयम लोढ़ा, विधायक पिंडवाड़ा-आबू श्री समाराम गरासिया, रेवदर विधायक श्री जगसीराम कोली, अध्यक्ष नगरपालिका आबू रोड श्री मगनदान चारण, जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा, पुलिस आयुक्त श्री जोस मोहन, सिरोही के जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद, पुलिस अधीक्षक श्री धमेन्द्र सिंह ने उनकी अगवानी की।

राज्यपाल ने बाद में अधिकारियों से औपचारिक बातचीत में कोरोना की स्थिति और बचाव के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी ली।

विभाग पीपीपी परियोजनाओं की रूपरेखा 31 जुलाई तक करें तैयार: मुख्य सचिव

बीदासर/चुरू। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने सभी विभागों से कहा कि वे नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना के तहत उपयुक्त सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की रूपरेखा शीघ्र तैयार करें। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित विभाग शीघ्र योजनाएं बनाएं। मुख्य सचिव ने विभागों को 31 जुलाई तक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभागों में प्रोजेक्ट डवलेपमेंट सैल की स्थापना शीघ्र करने के निर्देश भी दिये।

मुख्य सचिव सोमवार को केंद्र की नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन (एनआईपी) योजना के तहत विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभागों द्वारा तैयार किये जा रहे पीपीपी प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि अन्य विभाग भी प्रत्येक वर्ष के लिए शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स तैयार करें। उन्होंने कहा कि विभाग वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट की आवश्यकता वाली उपयुक्त परियोजनाओं की रूपरेखा भी केन्द्र सरकार को शीघ्र भिजवाएं। श्री आर्य ने कहा कि सभी विभाग प्रोजेक्ट डवलेपमेंट सैल की स्थापना और उसका सुदृढ़िकरण सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने बताया कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की उपयोजना- 1 के तहत राज्यों की सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे जल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सोलिड वेस्ट, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है, जिनमें परिचालन लागत की शत प्रतिशत वसूली हो। इन योजनाओं में 30 प्रतिशत तक पूंजीगत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा, तीस प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है।

उप योजना -2 के तहत स्वास्थ्य तथा शिक्षा की परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत तक की परिचालन वसूली होनी चाहिये। इसमें कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वायबल गैप फंडिंग सपोर्ट के रूप में तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 40 प्रतिशत तक की फंडिंग की जा सकती है।

आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों में पीपीपी प्रोजेक्ट्स की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

OM INFRA LIMITED
(Formerly known as OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED)
CIN : L27203RJ1971PLC003414
Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001
Tel:+91-141-4046666 Website: www.ommetals.com E-Mail Id: info@ommetals.com

सूचना

(कम्पनी के समस्त अंशधारकों को सूचित करने हेतु)

विषय : कम्पनी के समता अंशों का निवेशन शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (IEPF) सन्देही खाते में हस्तांतरण

एतद्द्वारा अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, अंकेक्षण, हस्तांतरण व प्रतिदाय), नियम 2016 ('नियम') के प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवधि में घोषित अंतिम लाभांश, जो सात वर्ष की अवधि से दावा रहित है, 29 अक्टूबर, 2021 को IEPF के खाते में डाल दिया जाएगा। संबंधित समता अंश जिनका लाभांश सात निरंतर वर्षों से दावा रहित है, उनको भी नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इसमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

नियमों के अनुपालन में, कम्पनी द्वारा संबंधित अंशधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है एवं IEPF में हस्तांतरण योग्य ऐसे समता अंशों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित अंशधारक अपने भुगतान रहित लाभांश एवं हस्तांतरण योग्य समता अंशों का विवरण वेबसाइट **www.ommetals.com** पर सत्यापित कर सकते हैं।

अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं पश्चात की अवधि के घोषित अंतिम लाभांश का दावा इसके IEPF में हस्तांतरण से पूर्व करें। संबंधित अंशधारक जो समता अंश भौतिक रूप से रखते हैं तथा जिनके समता अंश IEPF में हस्तांतरण योग्य हैं, वे नोट करें कि कम्पनी द्वारा IEPF में समता अंशों के हस्तांतरण हेतु उनके मूल के बदले में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी किये जाएंगे व ऐसे मामले में, कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट एक्शन द्वारा डिपाजिटरी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को DEMAT में बदलने तथा IEPF के पक्ष में हस्तांतरण हेतु सूचित किया जाएगा। मूल शेयर सर्टिफिकेट जो मूल अंशधारकों के नाम से पंजीकृत है, वे स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे तथा अपरक्राम्य माने जाएंगे। संबंधित अंशधारक जो DEMAT प्रारूप में अंशधारिता रखते हैं, नोट करें कि कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को समता अंशो को IEPF के DEMAT खाते के पक्ष में हस्तांतरण हेतु सूचित किया जाएगा।

अंशधारक आगे नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया विवरण IEPF में समता अंशों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में समुचित सूचना समझा जावे।

यदि कम्पनी से संबंधित समता अंशधारकों द्वारा 31 अगस्त, 2021 या पूर्व तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो नियमों की पालना के दृष्टिगत, नियत तिथि अर्थात 29 अक्टूबर, 2021 तक लाभांश का हस्तांतरण IEPF को कर दिया जाएगा।

संबंधित शेयर्स जिनका लाभांश सात निरन्तर वर्षों से दावा रहित है, को भी बिना किसी अन्य सूचना के हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि दावारहित लाभांश राशि एवं IEPF में हस्तांतरित शेयर्स के मामले में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अंशधारक IEPF में हस्तांतरित लाभांश एवं शेयर्स, ऐसे शेयर्स पर लागू सभी लाभों सहित, यदि हो, का दावा IEPF प्राधिकारियों से, नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कर सकते हैं।

उपर्युक्त मामले में किसी भी जानकारी के लिए, अंशधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के पंजीयन एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट मै. स्काईलाइन फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153 ए, प्रथम मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020 फोन : 011-64732681, 26812682 ई-मेल **admin@skylinerta.com** पर सम्पर्क करें।

वास्ते **ओम इन्फ्रा लिमिटेड**
ह./-
रीना जैन
कम्पनी सेक्रेटरी

दिनांक : 22 जून, 2021
स्थान : जयपुर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, **सम्पादक अमृत जैन के लिये,** यंगलीडर प्रेस से मुद्रित 2073, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित। **मो. 9868155089, 9829193560 फोन नं.** 0141-2570653 **(RNI No. RAJHIN/2004/12833)**